(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन

अधिसूचना सं. 39 / 2024-25
नई दिल्ली, दिनांकः 28th अक्तूबर, 2024

विषयः दिनांक 01.10.2024 से सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम की पहली अनुसूची में परिवर्तन के परिणामस्वरूप आरओडीटीईपी अनुसूची का संरेखण।

सा.आ.(अ.) समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा परिशिष्ट 4द और परिशिष्ट 4दङ में 01.10.2024 में निम्नलिखित परिवर्धन / संशोधन करती है:

i. 8 अंक स्तर पर 39 प्रशुल्क लाइनों को आरओडीटीईपी अनुसूची में जोड़ा गया है।

ii. 8 अंक स्तर पर 13 प्रशुल्क लाइनों को आरओडीटीईपी अनुसूची से हटा दिया गया है।

iii. 8 अंक स्तर पर 02 प्रशुल्क लाइनों के 'विवरण' में परिवर्तन किया गया है।

2. उपर्यूक्त पैरा में एचएस कोड के विवरण के साथ आरओडीटीईपी दरें / मूल्य अधिकतम सीमा डीजीएफटी पोर्टल– www.dgft.gov.in पर 'विनियमन>आरओडीटीईपी' लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है।

इस अधिसूचना का प्रभावः

वित्त विधेयक, 2024 के माध्यम से सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के तहत किए गए संशोधनों के परिणामस्वरूप, आरओडीटीईपी अनुसूची (परिशिष्ट 4द और परिशिष्ट 4दङ) में कुछ परिवर्तन 01.10.2024 से किए जा रहे हैं ताकि इसे सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम की पहली अनुसूची के साथ संरेखित किया जा सके। इन वस्तुओं के लिए आरओडीटीईपी दरें 1.10.2024 से 09.10.2024 तक और 10.10.2024 के बाद ऊपर दिए गए लिंक पर तालिकाओं में दर्शाई गई हैं।

संतोष कुमार सारंगी 28.10.2024

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेल : dgft@nic.in

(फा.सं. 01 / 61 / 180 / 155 / एएम21 / पीसी–3 / भाग–3 से जारी)